राजस्थान सरकार

कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर

क्रमांक प.2(3) अ/सा.सू./61–11/ आ.कृ./934-46 दिनांक : 24-8-2021

## सूचना

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के पत्र कमांक एफ.7 (10) भर्ती – क/गोपनीय /2020–21/ 550 दिनांक 13.08.2021 के द्वारा स्पष्टतः चयनित 10 सहायक सांख्यिकी अधिकारियों की नियुक्ति किये जाने हेतु नाम अभिस्थावित किये गये है। सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पदों पर चयनित निम्न अभ्यर्थीयों के नियुक्ति संबंधित सेवा नियमों में वर्णित योग्यताओं इत्यादि की जांच एवं मूल दस्तावेजों के सत्यापन आदि हेतु इनको दिनांक 03.09.2021 को प्रातः 11:00 बजें कमेटी रूम, पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर में उपस्थित होना है।

| MERIT NO | RNO | NAME OF CANDIDATE | CTG | SELECTED AGAINST POST | ADDRESS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211172 | ANCHAL PHUTELA | GE,WE | GENM | एम.मार्ट, वार्ड नं–7, नजदीक अग्रवाल धर्मशाला, पीलीबंगा, हनुमागनढ़ राज. 335803 मोबाईल नं. 9602530525 |
| 2 | 213384 | SUNIL MACHARA | BC | GENM | ग्राम अमरसर, तहसील–बीदासर, जिला चुरू, राजस्थान 331517 मोबाईल नं. 8114415718 |
| 3 | 211761 | MOHIT GARG | GE, EWS | GENM | Ward no 03 near public Park, Pilibangan District Hanumangarh PIN 335803 mobile no. 8239602983 |
| 4 | 211816 | DEEKSHA DIXIT | GE, WE, EWS | GENM | 112, महादेव नगर (II) निवारू रोड, हरनाथपुरा, झोटवाडा, जयपुर पिन कोड नं. 302012 मोबाईल नं. 9414343368 |
| 5 | 213346 | RAJNI PRAJAPAT | BC, WE | GENF | अमरनाथ छत्तरी के पास वार्ड नं. 9, गांधीनगर, मदनगंज किशगनढ, अजमेर पिन कोड नं. 305801 मोबाईल नं. 9413067485 |
| 6 | 213199 | MANISH GURJAR | MB | GENM | माताजी का मोहल्ला ग्राम व पोस्ट फतेहपुर तह. व जिला बांरा पिकंकोड नं. 325205 मोबाईल नं. 9413109067 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 211810 | SHIVANI JAISWAL | GE. WE | EWSM | 646 ए/609, गोविन्दपुर, नई बस्ती, कीडगंज प्रयागराज उत्तरप्रदेश पिन कोड नं. 211003 |
| 8 | 212603 | AMIT KUMAWAT | BC | BCM | 6, देवी नगर-बी, हरनाथपुरा, झोटवाड़ा जयपुर-302012 मोबाईल नं. 0902928272 |
| 9 | 211937 | RAJPAL | BC | BCM | 662, खारा वाला कुँआ, सिंघाना तहसील-बुहाना जिला झुन्झुनू राजस्थान पिन कोड नं. 333516 मोबाईल नं. 7877223106 |
| 11 | 213147 | ANTESH MEENA | ST | STM | ग्राम सुरेर पोस्ट खादरा तहसील सिकराय, जिला दौसा राजस्थान पिन कोड नं. 303509 मोबाईल नं. 0408922009 |

दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने पर कोई यात्रा भत्ता देय नहीं है। निर्धारित दिनांक को मूल दस्तावेजों के सत्यापन एवं नियमानुसार अन्य शर्तें पूर्ण करने तथा सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद की योग्यता रखने पर, नियुक्ति आदेश पृथक से जारी किये जायेगें। उक्त अभ्यर्थी दस्तावेजों के मूल एवं स्वयं के हस्ताक्षर द्वारा सत्यापित छाया प्रतियों के साथ उक्त निर्धारित दिनांक एवं स्थान पर उपस्थिति होवे।

सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद पर नियुक्ति इस शर्त के साथ की जावेगी-

" These appointments are subject to the decision of S.B.Civil Writ Petition No. 7971/2021."

**दस्तावेजों की सूची :-**

1. शैक्षणिक योग्यता सत्यापन हेतु मूल अंकतालिका/प्रमाण पत्र
2. जन्मतिथि के सत्यापन हेतु-सैकेण्डरी उत्तीर्ण की अंकतालिका/प्रमाण पत्र या अन्य संबंधित मान्य दस्तावेज।
3. पूर्वाचरण प्रमाण पत्र (Verification of antecedents Certificate) जो संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी हो।
4. राजस्थान सेवा नियमों के नियम 11 के अन्तर्गत निर्धारित स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, जो प्रमुख चिकित्सा अधिकारी (PMO) के स्तर से हो. महिला अभ्यर्थी के संबंध में महिला चिकित्सा अधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी स्वीकार्य होगा। (प्रारूप-अ)
5. मूल निवास प्रमाण पत्र।
6. वर्ग सत्यापन हेतु- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति (टी.एस.पी.) अनुसूचित जनजाति (टी.एस0पी.) पिछडी जाति, विशेष पिछडी जाति, सहरिया आदिम जाति का सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र।
7. पृथक-पृथक राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी दो नवीनतम चरित्र प्रमाण पत्र।
8. अविवाहित (पुरूष एवं महिला) की स्थिति में स्व-हस्ताक्षरित घोषणा।
9. विवाहित होने की स्थिति में, यदि विवाह दिनांक 22.05.2006 के बाद हुआ हो तो राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 22.05.2006 के अनुसार विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र।

10. राज्य सरकार की विज्ञप्ति दिनांक 20.06.2001 के तहत संतान संबंधी घोषणा (प्रारूप–द)
11. आपराधिक/सजायाफ्ता नहीं होने/तम्बाकू उत्पादों का सेवन नहीं करने इत्यादि से संबंधित स्व–हस्ताक्षरित घोषणा पत्र (प्रारूप–स)
12. दहेज नहीं लेने/नही लिया संबंधी स्व–हस्ताक्षरित घोषणा पत्र (प्रारूप–द)
13. राजस्थान सेवा नियम पार्ट–I के परिशिष्ठ–18 (ख) के अनुसार स्व–हस्ताक्षरित बंध–पत्र, जो लगभग एक लाख से कम का नही हो (प्रारूप–य)
14. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में अंकित नाम/उपनाम तथा शैक्षणिक योग्यता एवं जन्मतिथि के दस्तावेजों में अंकित नाम/उपनाम जन्मतिथि में यदि भिन्नता हो तो वांछित दस्तावेज।

निर्धारित स्थान, दिनांक व समय पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता (Candidature) निरस्त करने की कार्यवाही विभाग द्वारा की जावेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

24.8.21

(डॉ. ओम प्रकाश)
आयुक्त कृषि

क्रमांक प.2(3) अ/सा.सू./61–II/ आ.कृ./ 534–46 दिनांक : 24.8.2021

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–
1. ए.सीपी. कम्प्यूटर शाखा मु0 जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड करने के लिए प्रेषित है।
2. संबंधित श्री:.......................................................................।
3. निजी /आरक्षी पत्रावली।

(के.सी.मीना)
संयुक्त निदेशक,कृषि (प्रशासन)

पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर–302015 टेलिफोन नं. 0141–2227365 Ext. 202, 223
Website: agriculture.rajasthan.gov.in E-mail: jdagr.agri@rajasthan.gov.in

प्रारूप–अ

स्वास्थ्य प्रमाण पत्र

(राजस्थान सेवा नियम 10)

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैंने श्री.............................................................................................जो कि कृषि विभाग, राजस्थान सरकार में सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए प्रत्याशी है, शारीरिक स्वास्थ्य की परीक्षा की है तथा मुझे.........................................................................................के अतिरिक्त ऐसी कोई बीमारी (जो उल्लेखनीय अथवा अन्यथा प्रकार की हो) शारीरिक निर्बलता या दोष प्रतीत नही हुआ है। मैं कृषि विभाग में उसे नियुक्ति के लिए अयोग्य नही समझाता।

हस्ताक्षर सक्षम चिकित्सा अधिकारी

मय सील



DESKTOP MAHENDAR SINGH PALWAT OFFICE ORDER

प्रारूप–च

# कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक प.7(1)डी.ओ.पी./क–2/95 दि0 20.6.2001 के क्रम में संतान संबंधी घोषणा

मै ...................................................... पुत्र/पुत्री.................................................. निवासी ...................................................................................... एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि दिनांक 31.05.2002 तक मेरे बच्चो (पुत्र/पुत्री) की संख्या ............... थी। विवरण निम्न प्रकार है :–

| क्र.सं. | नाम | संबंध | जन्मतिथि |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

दिनांक 01.06.2002 को अथवा इसके पश्चात् मेरे बच्चो की संख्या में वृद्धि हुई है/नही हुई है एवं वर्तमान में बच्चों (पुत्र/पुत्री) की कुल संख्या .............. है। विवरण निम्न प्रकार है :–

| क्र.सं. | नाम | संबंध | जन्मतिथि |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

जो लागू नहीं हो, उसे काट दें।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
नाम :

2 प्रारूप–स

# शपथ पत्र

मैं .............................................. पुत्र/पुत्री श्री ..............................................रोल नम्बर .................. पंजीयन क्रमांक .............................. रैंक नं0 .............................. कनिष्ठ सहायक के पद के लिए दस्तावेज सत्यापन हेतु अभिप्रस्तावित हुआ/हुई हूं, सशपथ बयान करता हूं/करती हूं :–

1. कि मैं राजस्थान कृषि अधीनस्थ सेवा नियम, 1978 यथा संशोधित में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत पद हेतु अपेक्षित अर्हता रखता/रखती हूं। इस क्रम में मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज वैध एवं सत्य है तथा संस्था, जिसका प्रमाण पत्र मैंने प्रस्तुत किया है, वह नियमानुसार है।
2. कि मेरे द्वारा शैक्षणिक योग्यता संबंधी दी गई जानकारी विज्ञापन में अंकित शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप है।
3. कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन से संबंधित सभी दस्तावेज पूर्णरूप से सही है एवं मिथ्या/जाली/नकली/गलत तरीके से तैयार कराकर प्रस्तुत नही किये गये है।
4. कि मेरे विरूद्ध कभी भी किसी भी थानाक्षेत्र में कोई आपराधिक प्रकरण न तो दर्ज हुआ है और न ही मेरे विरूद्ध किसी प्रकार की कोई आपराधिक जांच लम्बित है। मेरे विरूद्ध कोई फौजदारी/न्यायिक प्रकरण किसी भी न्यायालय में न तो दायर हुआ है और न ही लम्बित है।
5. कि मैं तम्बाकू या तम्बाकू उत्पादो का सेवन नहीं करता हूं और न ही राजकीय सेवा के दौरान करूंगा।
6. कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी दस्तावेज किसी भी प्रकार से जाली/नकली पाया जाता है और तथा/अथवा मेरे द्वारा उक्त घोषणा पूर्ण अथवा आंशिक असत्य पायी जाती है तो ऐसी स्थिति में मुझे पूर्ण रूप से ज्ञात है कि मेरी अभ्यर्थिता/पात्रता/चयन तुरन्त प्रभाव से निरस्त कर उसी समय मुझे राजकीय सेवा से पृथक कर दिया जायेगा, जिसके लिये मैं स्वयं पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहूंगा/रहूंगी। ऐसी स्थिति में नियुक्ति प्राधिकारी को यह पूर्ण अधिकार होगा कि मेरे विरूद्ध वैधानिक/पुलिस/न्यायिक/अनुशासनात्मक इत्यादि की कार्यवाही कर सकते है, जिसके लिये मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे यह भी ज्ञात है कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार अन्य परीक्षाओं में शामिल होने से मुझे वंचित (Debar) किया जा सकता है, उसके लिये भी मैं ही स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।

दिनांक :

स्थान :

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी का नाम : ..................

अभ्यर्थी के पिता का नाम :

पत्र व्यवहार का पता :

2

प्रारूप–द

## दहेज के संबंध में प्रस्तुत किये जाने वाला शपथ पत्र का प्रारूप

मैं .................................... पुत्र/पुत्री श्री .................................... रोल नम्बर ............... पंजीयन क्रमांक ............................ रैंक नं0 ............................ सहा॰ सां॰ अधिकारी के पद के लिए दस्तावेज सत्यापन हेतु अभिप्रस्तावित हुआ/हुई हूं, सशपथ बयान करता हूं/करती हूं :–

कि मेरा विवाह दिनांक .......................... को हुआ है। विवाह के समय मेरे घरवालों ने ना तो दहेज लिया है/ना ही दहेज दिया है। भविष्य में दहेज लिए जाने के सम्बन्ध में मेरी पत्नी/मेरे पति एवं ससुराल पक्ष की ओर से कोई शिकायत विभाग/न्यायालय में दर्ज करवाई जाती है तो मेरी नियुक्ति समाप्त किये जाने का नियुक्तिकर्ता को पूर्ण अधिकारी होगा, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा /रहूंगी।

अथवा

मेरा विवाह अभी तक नहीं हुआ है और भविष्य में जब भी होगा, तब मैं या मेरे घरवाले ना तो दहेज लेंगे/ना ही दहेज देंगे। भविष्य में दहेज लिए जाने के सम्बन्ध में मेरी पत्नी/मेरे पति एवं ससुराल पक्ष की ओर से कोई शिकायत विभाग/न्यायालय में दर्ज करवाई जाती है तो मेरी नियुक्ति समाप्त किये जाने का नियुक्तिकर्ता को पूर्ण अधिकारी होगा, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।

दिनांक :

स्थान :

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
अभ्यर्थी का नाम : ....................
अभ्यर्थी के पिता का नाम :
पत्र व्यवहार का पता :

जो लागू नहीं हो, उसे काट दें।

प्रारूप–य

## राज0 सेवा नियम के नियम 22 (ख) के अन्तर्गत बन्ध–पत्र

### राज्य कर्मचारी जिसे प्रशिक्षण पर भेजा जाता है और जिसे राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7 (8) (ख) के अन्तर्गत ड्यूटी पर माना जाता है, द्वारा निष्पादित करने का प्रारूप बन्ध–पत्र

यह बन्ध–पत्र आज दिनांक ............ माह .............. 2019 को एक पक्ष के श्री ............................ निवासी ..................................................................................................................... (जो एतद्पश्चात् "प्रशिक्षणार्थी" कहलायेंगे) एवं श्री .............................. पुत्र श्री .......................... (प्रथम जामिन) और श्री ................................ पुत्र श्री .............................. (द्वितीय जामिन) (जो एतद्पश्चात् "सामुहिक रूप में जामिन" कहलायेंगे) की ओर से राजस्थान राज्य के राज्यपाल (जो एतद्पश्चात् "सरकार" कहलायेंगे) के पक्ष में लिखा गया।

चूंकि नियमानुसार प्रशिक्षणार्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह अवधि दिनांक ....... .................. से दिनांक .......................... तक प्रशिक्षण प्राप्त करें।

और चूंकि, सरकार प्रशिक्षणार्थी को एतद्पश्चात् लिखी शर्तो पर और इस शर्त पर कि जामिन यह जमानत देंगे कि प्रशिक्षणार्थी द्वारा कथित शर्तो के अनुसार उचित निष्पादन किया जावेगा, उसे प्रशिक्षण पर रखने को सहमत हो गई है :

और चूंकि जामिन, प्रशिक्षणार्थी द्वारा इसको कथित शर्तो की पूर्णतः अनुपालना निम्न दर्शाई पद्धति के अनुसार करने हेतु जमानत देने को सहमत हो गये हैं,

अतः यह विलेख निम्न बातों का साक्ष्य है :

(1) कि सरकार द्वारा नियमानुसार प्रशिक्षणार्थी का प्रशिक्षण हेतु चयन करने को विचार में रखते हुए और कथित इकरारनामे के प्रतिफल में प्रशिक्षणार्थी एतद्द्वारा सरकार से संविदा करता है कि ऐसे प्रशिक्षण के दौरान तथा इस प्रशिक्षण के पूर्ण होने के दो वर्ष के अन्दर वह राज्य सेवा से न तो त्याग–पत्र देगा और न सेवा–निवृत्ति लेगा।

(2) ऊपर लिखित प्रतिफल और उक्त कथित इकरारनामे के अनुसरण में, प्रशिक्षणार्थी और जामिन एतद्द्वारा सहमत है कि प्रशिक्षण अवधि के दौरान या प्रशिक्षण पूर्ण होने के एक या दो वर्ष की अवधि के अन्दर, यदि प्रशिक्षणार्थी त्याग–पत्र देता है या उक्त खण्ड (1) का उल्लंघन कर कोई अन्य नियोजन स्वीकार करता है तो प्रशिक्षणार्थी और जामिन संयुक्त रूप से और अलग रूप से राज्य सरकार को वह समस्त राशि अदा करेंगे जो